

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 37 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025 / 43

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री जयेश कलाल पुत्र श्री नारायण निवासी वार्ड
नं.03, कलाल वाड़ा भूंगड़ा, बांसवाड़ा (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स गजानन्द ट्रेडर्स, नया बस स्टेण्ड,
खमेरा रोड, भूंगड़ा, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05-08-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-06-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22-07-2024 को दौराने निरीक्षण 04.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गजानन्द ट्रेडर्स, नया बस स्टेण्ड, खमेरा रोड, भूंगड़ा, बांसवाड़ा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री जयेश कलाल पुत्र श्री नारायण मिले, उन्होंने बताया कि वह मालिक है। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स गजानन्द ट्रेडर्स, नया बस स्टेण्ड, खमेरा रोड, भूंगड़ा, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA) के 11 पैकेट 250 ग्राम के रखे हुए थे। खाद्य पदार्थ Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA) जिसमें गुणवत्ता की कमी एवं मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA) के 8 पैकेट प्रत्येक 250 ग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 640/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA) के 2 किलोग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलाक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

1874 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/401 दिनांक 13-08-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 816 दिनांक 02-08-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1874** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है। प्रकरण अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड **Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01-07-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)

दिनांक 05-08-2025 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार करता है अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/401 दिनांक 13-08-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 816 दिनांक 02-08-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1874** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **Tea (SIMUL CLONAL GOLD TEA)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री जयेश कलाल पुत्र श्री नारायण निवासी वार्ड नं.03, कलाल वाडा भूंगडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स गजानन्द ट्रेडर्स, नया बस स्टेण्ड, खमेरा रोड, भूंगडा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(आति. जिला क्लर्क)
(आति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)